दिनांक : 31.12.2013

परिशिष्ट -IV

1. परिशिष्ट-III दिनांक 31.7.2013 के अतिरिक्त, एचएसीसीपी प्रमाणीकरण के बिना इकाईयों को दिए गए वर्तमान तत्कालिक मान्यता प्रमाण-पत्र 30.06.2014 तक वैध हैं जिसके द्वारा पी.पी.पी प्रसंस्करण इकाईयों (एकीकृत मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों, मूंगफली शेलिंग इकाईयों, मूंगफली ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली शेलिंग-सह-ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली गोदामों /भण्डारणशामिल है) के साथ निर्यातक ये दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके पास एच.ए.सी.सी.पी प्रमाणीकरण प्राप्त करने के ठोस उपाय उपलब्ध हैं। दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी अनुमोदित एच.ए.सी.सी.पी प्रमाणीकरण एजेंसी को दिए गए अग्रिम एवं प्रस्तुत आदेश की प्रतिलिपि प्रदान की जा सकती है। यह प्रमाण 31.3.2014 तक प्रस्तुत किया जाए। 31/03/2014 तक प्रमाण न बन पाने की स्थिति में इस मान्यता प्रमाण-पत्र को अवैध माना जाएगा और आई.ओ.पी.ई.पी.सी द्वारा "निर्यात हेतु प्रमाण-पत्र" जारी नहीं किया जाएगा। कृपया यह नोट किया जाए कि एच.ए.सी.सी.पी अनुपालन के लिए आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

2. एपीडा के एफ्लाटॉक्सीन के नियंत्रण द्वारा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु एपीडा अधिनियम के खण्ड 4.18 को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया जाता है:

"यह अनिवार्य है कि यूरोप को निर्यात होने वाले सभी पी.पी.पी माल को केवल वैक्यूम पैक किया जाए और किसी भी अन्य तरह की पैकिंग का प्रयोग न किया जाए। सैम्पलिंग गनी बैगों में की जाए और प्रयोगशाला से क्लिरन्स के बाद, अधिकृत प्रयोगशाला की पर्यवेक्षण में माल को वैक्यूम पैक किया जाए।"

हस्ताक्षरित

आर.के.बोयल

(निदेशक)